

12. NO 122  
20/08/2020  
ARIS

कार्यालय उप-निदेशक, पूसा प्रक्षेत्र  
डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय  
पूसा (समस्तीपुर)-848125, बिहार

(4)

08 नन-शीशम पेड़ो की नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूसा प्रक्षेत्र के भिन्न-भिन्न स्थानों पर अवस्थित 08 (आठ) नन-शीशम गिरे हुए पेड़ो की नीलामी दिनांक 04.09.2020 को 11:00 बजे दिन में पूसा प्रक्षेत्रांगन में की जायेगी एवं 08 नन-शीशम पेड़ो की कटाई स्वयं करके एक सप्ताह के अंदर उठा लेना होगा। नीलामी में भाग लेने वाले क्रयकर्ताओं को मो० 5000/- (पाँच हजार रु०) मात्र नगद क्रय प्रपत्र डालने से पहले रोकड़पाल पूसा प्रक्षेत्र के पास जमानत के रूप में जमा करना होगा, जो असफल क्रयकर्ता को नीलामी समाप्ति के तुरंत बाद जमानत की राशि वापस कर दिया जायेगा। सफल क्रयकर्ता को नीलामी समाप्ति के तुरंत बाद बाद जी०एस०टी० एवं अन्य देय राशि सहित जमा करना होगा। इस नीलामी में भाग लेने वाले क्रयकर्ता को प्रक्षेत्र कार्यालय में उपलब्ध क्रय प्रपत्र में अपना क्रय मूल्य भरकर स्वपता लिखकर लिफाफे में बन्द कर दिनांक 03.09.2020 को सध्या 05:00 बजे तक रोकड़पाल के पास जमा किया जा सकता है, जो दिनांक 04.09.2020 को 11:00 बजे दिन में गठित समिति एवं सभी क्रयकर्ताओं के समक्ष पूसा प्रक्षेत्र में खोली जायेगी। इस नीलामी की विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय के बेवसाईट [www.rpcau.ac.in](http://www.rpcau.ac.in) पर देखा जा सकता है।

- शर्तः— 1. क्रय प्रपत्र पर उच्च क्रय मूल्य लिखकर देने वाले क्रयकर्ता को पेड़ो का सम्पूर्ण मूल्य नीलामी समाप्ति के तुरंत बाद जी०एस०टी० एवं अन्य देय राशि सहित जमा करना होगा, अन्यथा जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी, साथ ही आपके द्वारा किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।  
2. क्रयकर्ताओं को 08 नन-शीशम पेड़ो की कटाई स्वयं करनी होगी।  
3. 08 नन-शीशम पेड़ो की क्रय करने के बाद उसके सुरक्षा एवं अन्य / क्षति की जिम्मेवारी नीलामी लेने वालों की होगी।  
4. गढ़े भरने के निमित्त प्रति पेड़ 300/-रु० (तीन सौ रु०) मात्र के दर से जमानत राशि जमा करनी होगी। गढ़े को भरने के बाद ही प्रभारी, वृक्ष के अनुशंसा पर गढ़े की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी एवं गढ़ा नहीं भरने की स्थिति में गढ़ा भरने की जमानत राशि जप्त कर ली जायेगी एवं यह कार्य फार्म स्वयं करायेगा।

इस नीलामी को किसी भी समय विना कारण बताये रद्द करने का अधिकार गठित समिति को सुरक्षित है।

रु०/-

उप-निदेशक  
पूसा प्रक्षेत्र, पूसा

पत्रांक २६८ / पी०एफ०

दिनांक २५ / ०८ / 2020

प्रतिलिपि श्री ..... को इस विक्री में भाग लेने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

*Yashwant  
25.08.2020*  
उप-निदेशक  
पूसा प्रक्षेत्र, पूसा

कार्बन प्रति:- प्रभारी, पदाधिकारी एरिस सेल, रा०प्र०क०क०वि०, पूसा को अमरुद फलों की नीलामी के लिए विश्वविद्यालय बेवसाईट पर प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।